सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 79/2016

1. सरजीतसिह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एच छोटी तहसील श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 379 हौमलेण्ड सिटी श्रीगंगानगर
2. श्रीमति सुखजीत कौर पत्नी संतोख सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एच छोटी तहसील श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 479 हौमलेण्ड सिटी श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री जलविन्द्र सिंह भंगू , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–19.01.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 व उसके भाईयों रधुवीर सिंह,ज्ञानसिंह, संतोख सिंह के नाम चक 2 एच छोटी द्वितीय तहसील श्रीगंगानगर के खाता सख्या 10, मु.न. 22,30 की कुल 7.906 है0 मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज थी , जिसका विभाजन आपसी सहमति से किया जाकर तहसीलदार , श्री गंगानगर के समक्ष पेश किया गया जिस पर आदेश कमांक 19–20 दिनांक 01.02.2013 पारित किया गया जिसकी नकल शामिल है, इसमें अपीलांट सख्या 1 के नाम से मु.न. 30 के किला नम्बर 2,6,9,15,19,22 का कुल 1.850 हैक्टर दर्ज किया गया जैसा कि आदेश मे स्पष्ट अंकित है मगर इसका इंतकाल करते समय टंकन की गलती से अपीलांट संख्या 1 के नाम किला नम्बर 22 के स्थान पर 20 दर्ज किया गया तथा किला नम्बर 19 को एक बार के स्थान पर दो बार दर्ज कर दिया गया जबकि रकबा का योग 1.580 ही दर्ज किया गया है, इंतकाल में हुई गलती की जानकारी यकतरफा तौर इंतकाल करने के कारण नहीं हो सकी तथा अपीलांट संख्या 1 द्वारा रकबा का बैचान अपीलांट संख्या 02 को कर दिया गया। अब अपीलांट सख्या 2 द्वारा जब पटवारी हल्का से कल रोज जमाबंदी की नकल भूमि सुधार कार्य के सम्बन्ध में ली जानी चाही तो यह पता चला कि इंतकाल में किला नम्बर 22 के स्थान पर 20 दर्ज हो गया है तथा किला नम्बर 19 दो बार दर्ज हो गया है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नम्बर 239/2013 में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए किला नम्बर 20 के स्थान पर 22 दर्ज करने तथा किला नम्बर 19 जो दो बार दर्ज हुआ है में एक को काटने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित मूल रेकार्ड तलब किया जाकर देखा गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 व उसके भाईयों रधुवीर सिंह,ज्ञानसिंह, संतोख सिंह के नाम चक 2 एच छोटी द्वितीय तहसील श्रीगंगानगर के खाता सख्या 10, मु.न. 22,30 की कुल 7.906 है0 मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज थी , जिसका विभाजन आपसी

सहमति से किया जाकर तहसीलदार , श्री गंगानगर के समक्ष पेश किया गया जिस पर आदेश क्रमांक 19–20 दिनांक 01.02.2013 पारित किया गया जिसकी नकल शामिल है, इसमें अपीलांट सख्या 1 के नाम से मु.न. 30 के किला नम्बर 2,6,9,15,19,22 का कुल 1.850 हैक्टर दर्ज किया गया जैसा कि आदेश मे स्पष्ट अंकित है मगर इसका इंतकाल करते समय टंकन की गलती से अपीलांट संख्या 1 के नाम किला नम्बर 22 के स्थान पर 20 दर्ज किया गया तथा किला नम्बर 19 को एक बार के स्थान पर दो बार दर्ज कर दिया गया जबकि रकबा का योग 1.580 ही दर्ज किया गया है, इंतकाल में हुई गलती की जानकारी यकतरफा तौर इंतकाल करने के कारण नहीं हो सकी तथा अपीलांट संख्या 1 द्वारा रकबा का बैचान अपीलांट संख्या 02 को कर दिया गया। अब अपीलांट सख्या 2 द्वारा जब पटवारी हल्का से कल रोज जमाबंदी की नकल भूमि सुधार कार्य के सम्बन्ध में ली जानी चाही तो यह पता चला कि इंतकाल में किला नम्बर 22 के स्थान पर 20 दर्ज हो गया है तथा किला नम्बर 19 दो बार दर्ज हो गया है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नम्बर 239/2013 में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए किला नम्बर 20 के स्थान पर 22 दर्ज करने तथा किला नम्बर 19 जो दो बार दर्ज हुआ है में एक को काटने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विभाजन आपसी सहमति से किया जाकर तहसीलदार , श्री गंगानगर के समक्ष पेश किया गया जिस पर आदेश क्रमांक 19–20 दिनांक 01.02.2013 की पालना में जारी इंतकाल नम्बर 239/2013 में लिपिक त्रुटि हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2013 द्वारा सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार अपीलार्थी सुरजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के नाम मु.न. 30 के किला नम्बर 02/.253, 06/.189, 9/.253, 12/.253, 15/.126, 19/.253, **22/.253 कुल 1.580** हैक्टर का आदेश जारी कर पटवारी हल्का को रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार , श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 19–20 दिनांक 01.02.2013 की पालना में भरे इंतकाल नम्बर 239/2013 में किला नम्बर 22 के स्थान पर 20 एवं किला नम्बर 19 दो बार दर्ज हो गया, जो लिपिकीय त्रुटिवंश होना पाया गया। अतः तहसीलदार , श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 19–20 दिनांक 01.02.2013 की पालना में भरा इंतकाल नम्बर 239/2013 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे उनके आदेश क्रमांक 19–20 दिनांक 01.02.2013 की पालना में नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज कर रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना पठावें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर